संख्या: 6/2023/502 ई-2/तेरह-2023-1498047

प्रेषक,

राकेश कुमार सचान,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 03 मार्च,2023

विषय:-मेसर्स लार्ड्स डिस्टिलरी लि., नन्दगंज, जनपद गाजीपुर की स्वीकृत पेय क्षमता 118.80 लाख लीटर से बढ़ाकर 133.65 लाख लीटर वार्षिक निर्धारित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या:जी-288/दो-प्रा.डी.-24/लार्डस, दिनांक 06-02-2023 एवं प्रकरण में अपर मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में आहूत बैठक दिनांक 28-02-2023 के कार्यवृत्त संख्या:482 ई-2/तेरह-2023-1498047, दिनांक 01-03-2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त सन्दर्भित पत्र दिनांक 06-02-2023 में आप द्वारा की गयी संस्तुति पर सम्यक विचारोपरान्त राज्य के राजस्व एवं औद्योगिक हित तथा निवेश एवं रोजगार संवर्धन के दृष्टिगत मेसर्स लार्डस आसवनी लि., नन्दगंज, गाजीपुर की अधिष्ठापित क्षमता 148.5 लाख लीटर वार्षिक के अन्तर्गत स्वीकृत पेय क्षमता 118.80 लाख ली. वार्षिक को बढ़ाकर 133.65 लाख ली. वार्षिक किये जाने की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि इकाई द्वारा उत्पादन करते समय निम्नलिखित शर्तों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा:-

(क) आसवक द्वारा उत्तर प्रदेश आबकारी (आसवनी की स्थापना) (तेरहवां संशोधन) नियमावली, 2019 के नियम-2(5)(ज)(झ) का अनुपालन किया जायेगा।

(ख) आबकारी आयुक्त द्वारा प्रकरण में अग्रतर कार्यवाही करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाएगा कि आसवनी पर कोई सरकारी राजस्व बकाया न हो।

(ग) आसवनी द्वारा गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज (जी.एम.पी.) का अनुपालन करते हुए उत्पादन सुनिश्चित किया जायेगा

तद्नुसार कृपया अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राकेश कुमार सचान)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in